<u>उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जिन्होने सिपाही (कार्यकारी) के पद के 520 पदों के लिए वर्ष 2015 में विज्ञापित आवेदन किया हुआ है</u>

<u>शैक्षणिक योग्यता</u>

सिपाही (कार्यकारी) पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नीचे दी गई है:

- Ø उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र भरने की तिथि को उम्मीदवार उच्च माध्यमिक (10+2 (सीनियर सेकेंडरी) या बराबर) किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास होना जरुरी है । **(As per Standing Order –Annexure "EQ")**

- Ø भूतपूर्व सैनिकों के मामले में, उम्मीदवार को 10+2 पास होना चाहिए या उसके पास सेना या नौसेना या वायु सेना से दिया गया स्नातक प्रमाण पत्र होना जरुरी । **(As per Standing Order –Annexure "EQ")**

<u>ड्राइविंग लाइसेंस</u>

सिपाही (कार्यकारी) पद पर भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है । उम्मीदवार के पास आवेदन फार्म भरने की तिथि को वैध ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल गियर के साथ (MCWG)और मोटर कार (LMV) या भारी श्रेणी के वाहन, जो कि एक लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो और जो पुरे भारत के क्षेत्र भर में ड्राइव करने के लिए वैध होना चाहिए ।

"यह भी यहां पर स्पष्ट किया जाता है कि LMV और Transport Vehicle की श्रेणी "मोटर कार" की श्रेणी से उच्च है और अगर किसी के पास LMV या Transport Vehicle लाइसेंस है तो वह मोटरकार की योग्यता पूरी करता है परन्तु उसके पास मोटरसाईकल (MCWG) का भी लाईसेंस होना चाहिए ।" **(As per Standing Order –Annexure "EQ")**

Learning Licence को स्वीकार नहीं किया जाएगा । िज उम्मीदवारों ने Learning Licence अपलोड किया था, उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है ।

<u>भूतपूर्व सैनिक</u>

आवेदन फार्मों की चैकिगं के दौरान यह पाया गया है कि कुछ पूर्व सैनिक उम्मीदवारों ने अपने संबंधित विभाग से एनओसी लेने के बाद आवेदन किया हुआ है केवल वही भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार योग्य होगें । जो अपनी रक्षा ईकाइयों से 01.01.2013 और 31.12.2015 से बीच में मुक्त हुए है और जिनको मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है चंडीगढ़ पुलिस के स्थायी आदेश 1/2015 दिनांक 06.10.2015 के पेज नम्बर 21-22 के अनुसार (जो कि चंडीगढ़ पुलिस की वेब साइट पर उपलब्ध है) :

"…. उम्मीदवार जो केवल पूर्व सैनिकों के लाभ प्राप्त कर सकते हैं …..
(I) जो सेवानिवृत्त होने पर पेंशन ले रहे है; या
(II) िजसकमुक्ति प्रमाण पुस्तक में भूतपूर्व सैनिक लिखा गया है; या ………. "

चंडीगढ़ पुलिस के स्थायी आदेश के अनुसार जिन्होनें अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर आवेदन किया हुआ है वो आवेदक सिपाही के पद के लिए पात्र नहीं हैं

और उनके आवेदनों को खारिज किया जा रहा है, जब तक उनके अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) में 31 मार्च, 2017 से पहले निर्वहन की तारीख निर्धारित है । /" **(As per Standing Order –Annexure "EX")**

<u>अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार को लाभ</u>

जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है उन उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे केवल तभी अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ प्राप्त कर सकते है अगर उनकी जाति चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की दोनों सूची चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

िजन उम्मीदवारों ने अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आवेदन किया हुआ है उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाऐगी । अगर उनकी जाति चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नही है ।